राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः राम/प-2(13)/विविध/रातस/बैच-29/2019/ 127 दिनांक : 8/1/20

-:आदेशः-

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-29/2019/6121 दिनांक 1.07.19 द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 में सफल 220 अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति प्रदान की जाकर दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 11.30 बजे तक आवश्यक रूप से निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर एवं प्राधानाचार्य, ए.पी.आर.टी.टोंक को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही आदेश में यह अंकित किया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेंगे। इस क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थीयों द्वारा आदिनांक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की हैः-

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं.	नाम अभ्यर्थि	जन्मतिथि	वर्ग
1	1256	218222	ANKIT BAYER	14.11.1990	SC
2	1573	203477	ANSHUL SINGAL	31.07.1992	GE,BL

नियुक्ति आदेश 01.07.19 की पालना में उक्त अभ्यर्थियों को वांछित एक्सटेंशन स्वीकृत कर स्वीकृत एक्टेंशन के पश्चात् उपस्थिति शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए आदेश में अंकन किया गया था कि एक्सटेंशन अवधि के पश्चात् उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ज्वोईन नहीं करने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त कर दिये जायेंगे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुपस्थित अभ्यर्थी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं है। अतः मण्डल के नियुक्ति समसंख्यक आदेश क्रमांक 6121 दिनांक 01.07.2019 की पालना में उक्त अभ्यार्थियों द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप इनका नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक सम/ 128-35 दिनांकः- 8/1/20

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.9(2)कार्मिक/क-4/2/2018 दिनांक 30.06.2019 के क्रम में।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3- निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बंधित को जरिए रजिस्टर्ड डाक उक्त नोटिस की तामिली आवश्यक रूप से करावें।
4- प्राधानाचार्य, एपीआरटीएस टोंक को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बंधित को जरिए रजिस्टर्ड डाक उक्त नोटिस की तामिली आवश्यक रूप से करावें।
5- प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक रूप से उक्त नोटिस को वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
6- जरिए रजिस्टर्ड डाक सम्बंधित श्री/श्रीमती/सुश्री...
7- आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबंधक (रातस)

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर